**निविदा फार्म** मूल्य रूपये 2000/-

कार्यालय जिला पंचायत, दमदमा, उज्जैन
(प्रस्तावित हाथकरघा एवं हस्तशिल्प मेला 2023 दिनांक 15.12.2023 से 26.12.2023 तक)

## कार्य क्र.04 –झूले लगाने हेतु

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,उज्जैन

विषय :– प्रस्तावित हाथकरघा एवं हस्तशिल्प मेला 2023 हेतु –झूले/गेम्स झोन लगाने कार्य संबंधी भाव प्रदाय विषयक।

सन्दर्भ :– आपकी कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक ......................... दिनांक ...................... ।

उपरोंक्त विषयांतर्गत आपके कार्यालय की समस्त शर्तो को मान्य करते हुए –झूले लगाने हेतु मेरे एक मुश्त दर सम्पूर्ण मेला अवधि हेतु निम्नानुसार हैः–

| क्र | कार्य का विवरण/सामग्री का विवरण | प्रति नग | दर/भाव मेला अवधि हेतु दर कार्यालय में जमा करने हेतु। (समस्त टेक्स सहित) |
|---|---|---|---|
| 01. | ब्रेक डांस | 01 | |
| 02. | ड्रेगन ट्रेन | 01 | |
| 03. | वाटर रोलर/वाटर बोट | 01 | |
| 04. | बोनसी (मिक्की माउस) | 01 | |
| 05. | इलेक्ट्री रेल | 01 | |
| 06. | 9D/3D | 01 | |
| 07. | बच्चो के झूले छोटे | 02 | |

**नोट :–** निविदा शर्त अनुसार निर्धारित स्थान पर क्र. 1 अनुसार लगाये जावेगे, इसके अतिरिक्त यदि आपके द्वारा झूले व अन्य मनोरंजन आयटम बढाये जाते है, तो जिसका अनुमोदन मेले प्रभारी से लिया जाना होगा, जिसका अतिरिक्त शुल्क उपरोक्त दर अनुसार प्रदान करना होगा।

संलग्नः–01. धरोहर राशि जमा की छायाप्रति।
02. झूले संबंधि स्वामित्व का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
03. दर प्रत्रक में दर भर कर स्केन कापी का पी.डी.एफ बनाकर ऑनलाई वित्तीय लिफाफे में अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
04. शर्ते

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम——————————————————

पता——————————————————

**कार्य क्रमांक 04– मेला परिसर में बच्चों के मनोरंजन हेतु छोटे झूले व बोसी (मिक्की माउस) लगाने बाबत्।**
**कार्य, कार्यालयीन शर्तो का पालन करना अनिवार्य है ।**

01. निविदा अंर्तगत स्वीकृत दरे सम्पूर्ण मेला अवधी के लिये प्रभावशील रहेगी।
02. निर्धारित अवधि/समय पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार्य नही की जावेगी।
03. झूले लगाये जाने के कार्य हेतु रूपये 25,000/–(अक्षरी रूपये पच्चीस हजार मात्र) धरोहर ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा कराई जावेगी एवं बिजली मीटर स्वंय के व्यय पर पृथक से लगवाना होगा। समस्त व्यय व सुरक्षा संबंधी स्वयं जिम्मेदार होगें।
04. कार्यालय द्वारा जारी किये गये निविदा फार्म मे ही निविदा स्वीकार्य की जावेगी।
05. निविदा फार्म के साथ जमा धरोहर राशि की रसीद की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही व्यक्तिगत/ संस्था संबंधित कार्य के लिये ठेकेदारी हेतु मान्य विभाग से पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न करना होगी।
06. कार्य निष्पादन हेतु लगने वाली सम्पूर्ण सामग्री, कच्चामाल, मजदूर, लोडिंग–अनलोडिंग परिवहन इत्यादि की व्यवस्था निविदाकर्ता को स्वयं करना होगी।
07. कार्यादेश अनुसार मेला आरंभ के पूर्व दिनांक 12/12/23 को दोप. 01.00 बजे तक कार्य पूर्ण करना होगा।
08. संपूर्ण मेला अवधि मे पूरे समय कार्य एवं व्यवस्था मे रखरखाव हेतु पर्याप्त (कम से कम 05 व्यक्ति) हर समय उपस्थित रखना होगें।
09. यदि मेला अवधि मे वृद्वि होती है तो पूरी मेला अवधि हेतु स्वीकृत दर को आधार मानकर प्रति दिन के मान से अतिरिक्त अवधि का भुगतान किया जाना होगा।
10. झूले लगाने संबंधी पंजीयन अनिवार्य है, पंजीयन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति मेला प्रारम्भ होने के पूर्व झूले संबंधित फिटनेस प्रमाण पत्र मेला कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
11. कार्य व्यवस्था मे लगने वाली समस्त सामग्री की टूट–फूट,गुम होने ,आग लगने,चोरी बलवा, लूट आदि से होने वाली क्षति की जवाबदारी स्वयं निविदाकर्ता की होगी। प्रदाय सामग्री की सुरक्षा स्वयं निविदाकर्ता को करना होगी।
12. निविदा स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार एवं अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत उज्जैन के पास सुरक्षित रहेगा।
13. निविदा स्वीकृती के तत्काल पश्चात् दो दिवस मे समिति द्वारा निर्धारित शर्तो अनुसार अनुबंध का निष्पादन निविदा कर्ता को प्रस्तुत करना होगा।
14. कार्यादेश जारी होने पर किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि का भुगतान नही किया जावेगा
15. कार्य संपादन एवं रख रखाव मे प्रयुक्त श्रमिको की किसी दुर्घटना व श्रम कानून के पालन की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी साथ ही मेले मे पधारे जनसमूह के साथ झूले व अन्य मनोरंजन आयटम से होने वाली किसी भी प्रकार की घटना क्रम संबंधी पूर्ण जवाबदारी भी निविदाकर्ता की होगी। जिसका बीमा स्वंय को कराना होगा। जिसकी प्रति मेला कार्यालय को प्रदान करनी होगी।
16. झूले मालिक को बिजली कनेक्शन अपने स्वंय के व्यय पर लगाना होगा जिसका व्यय झूले मालिक द्वारा वहन किया जावेगा जिसका मीटर स्वयं उतराना होगा।
17. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति मे न्यायालयीन क्षैत्र उज्जैन रहेगा।
18. समिति के सत्यापन उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जावेगा।
19. सामग्रियो की दरे जीएसटी सहित प्रस्तुत करना होगी। जीएसटी पृथक से देय नही होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, उज्जैन

**उपरोक्त शर्त क्रमांक 01 से 20 मुझे मान्य है ।**

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :–

नाम एवं पता :–

मोबाईल नम्बर :–